

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(50)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 28.2.2018

स्वीकृति संख्या:-745/2017-18

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी. खाते में राशि रुपये 406.81 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7(160) सहरिया/सीसीडी प्रस्ताव/2017-18 स्वीकृति सं. 58/2017-18 दिनांक 22.02.2018 में अंकित शर्तों के अनुसार जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी. खाते में राशि रुपये 406.81 लाख (अक्षरों रूपये चार करोड़ छः लाख इक्यासी हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(19) - केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित योजनाएँ
[06] - सहरिया विकास की सी.सी.डी योजनान्तर्गत सहरिया के मॉ-बाडी केन्द्रों का संचालन
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(केन्द्रीय सहायता.) राशि रुपये 406.81 लाख
उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग
8. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)